

**कार्यालय :- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रीवा, म0प्र0**

**पीठासीन अधिकारी - (रूप सिंह कनेल)**

**-:: संशोधित कार्य विभाजन आदेश दिनांक 12.08.2023 ::-**

मैं रूप सिंह कनेल, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रीवा(म.प्र.) दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा (14) व (15) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के तहत संशोधित कार्य विभाजन आदेश दिनांक 01.05.2023 में आंशिक संशोधन करते हुए जिला मुख्यालय रीवा के क0-15 में से आरक्षी केन्द्र गोविन्दगढ़ को विलोपित कर संशोधन आदेश दिनांक 05.07.2023 के क0-04 में जोड़ा जाता है तथा तहसील सिरमौर के कमांक-02 को विलोपित कर आरक्षी केन्द्र गढ़ तहसील सिरमौर की सीमा क्षेत्र से संबंधित को कमांक-01 में जोड़कर निम्नानुसार संशोधित आदेश प्रसारित करता हूँ, जो माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय रीवा के अनुमोदन उपरांत तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होगा।

जिला मुख्यालय रीवा			
1.	श्री ललित कुमार मईड़ा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रीवा	सगरा एवं गोविन्दगढ़	<p>1. पुलिस थाना सगरा एवं गोविन्दगढ़ के थाना क्षेत्र के क्षेत्राधिकार अन्तर्गत उद्भूत दांडिक प्रकरण। (महिलाओं के विरुद्ध उद्भूत होने वाले आपराधिक प्रकरण एवं धारा 138 एन0 आई0 एक्ट के प्रकरणों को छोड़कर)</p> <p>2. पुलिस थाना सगरा एवं गोविन्दगढ़ अंतर्गत क्षेत्राधिकार वाले परिवाद प्रकरण एवं धारा 156(3) द0प्र0सं0 के आवेदन पत्र।</p> <p>3. पुलिस थाना सगरा एवं गोविन्दगढ़ के अंतर्गत उद्भूत एन0डी0पी0एस0 एक्ट के प्रकरणों में नॉर्कोटिक ड्रग्स एवं साईकोट्रोपिक सब्सटेन्स नियम 2022 के नियम 08 व 09 के तहत कार्यवाही संपन्न करेंगे।</p> <p>4. अंतरण पर प्राप्त समस्त दांडिक प्रकरण।</p>
2.	श्री संजीव रहांगडाले न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रीवा	रायपुर कर्चुलियांन एवं जी0आर0पी0	<p>1. पुलिस थाना रायपुर कर्चुलियांन एवं जी0आर0पी0 के थाना क्षेत्र के क्षेत्राधिकार अन्तर्गत उद्भूत दांडिक प्रकरण। (महिलाओं के विरुद्ध उद्भूत होने वाले आपराधिक प्रकरण एवं धारा 138 एन0 आई0 एक्ट के प्रकरणों को छोड़कर)</p>

		<p>2. पुलिस थाना रायपुर कर्चुलियान एवं जी. आर.पी. अंतर्गत क्षेत्राधिकार वाले परिवाद प्रकरण एवं धारा 156(3) द0प्र0सं0 के आवेदन पत्र।</p> <p>3. पुलिस थाना रायपुर कर्चुलियान एवं जी. आर.पी. के अंतर्गत उद्भूत एन0डी0पी0एस0 एक्ट के प्रकरणों में नॉर्कोटिक ड्रग्स एवं साईकोट्रोपिक सब्सटेन्स नियम 2022 के नियम 08 व 09 के तहत कार्यवाही संपन्न करेंगे।</p> <p>4. अंतरण पर प्राप्त समस्त दांडिक प्रकरण।</p>
<b>तहसील सिरमौर रीवा</b>		
3.	श्री हीरालाल अलावा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सिरमौर	<p>सिरमौर एवं गढ़ तहसील सिरमौर की सीमा क्षेत्र से संबंधित</p> <p>1. पुलिस थाना सिरमौर एवं गढ़ तहसील सिरमौर की सीमा क्षेत्र से संबंधित थाना के क्षेत्राधिकार अन्तर्गत उद्भूत दांडिक प्रकरण। परंतु आबकारी अधिनियम के प्रकरणों में 50 बल्क लीटर से अधिक मात्रा वाले प्रकरणों को छोड़कर।</p> <p>2. पुलिस थाना सिरमौर एवं गढ़ तहसील सिरमौर की सीमा क्षेत्र से संबंधित थाना के क्षेत्राधिकार वाले परिवाद प्रकरण एवं धारा 156(3) द0प्र0सं0 के आवेदन पत्र।</p> <p>3. थाना सिरमौर एवं गढ़ तहसील सिरमौर की सीमा क्षेत्र से संबंधित थाना के क्षेत्राधिकारिता के अंतर्गत आने वाले धारा 138 एन0 आई0 एक्ट एवं पेमेंट एण्ड सेटेलमेंट एक्ट 2007 से संबंधित प्रकरण।</p> <p>4. आबकारी वृत्त सिरमौर के आबकारी अधिनियम अंतर्गत प्रकरण, परंतु 50 बल्क लीटर से अधिक मात्रा वाले प्रकरणों को छोड़कर।</p> <p>5. तहसील सिरमौर अंतर्गत क्षेत्राधिकार वाले वन विधियों संबंधी समस्त प्रकरण एवं खनिज विधियों संबंधी समस्त प्रकरण।</p> <p>6. तहसील सिरमौर के अंतर्गत वन विभाग के द्वारा प्रस्तुत किये गये क्षेत्राधिकार वाले समस्त</p>



(3)

		<p>प्रकरण।</p> <p>7. पुलिस थाना सिरमौर एवं गढ़ तहसील सिरमौर की सीमा क्षेत्र से संबंधित थाना के क्षेत्र अंतर्गत महिलाओं के विरुद्ध कारित अपराध वाले समस्त प्रकरण एवं समस्त परिवाद प्रकरण तथा धारा 125, 126, 127 दं.प्र.सं. एवं घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 से उत्पन्न दाण्डिक प्रकरण (कुटुम्ब न्यायालय एवं ग्राम न्यायालय द्वारा विचारण योग्य प्रकरणों को छोड़कर)</p> <p>8. पुलिस थाना सिरमौर एवं गढ़ तहसील सिरमौर की सीमा क्षेत्र के अंतर्गत उद्भूत एन0डी0पी0एस0 एक्ट के प्रकरणों में नॉकॉटिक ड्रग्स एवं साईकोट्रोपिक सब्सटेन्स नियम 2022 के नियम 08 व 09 के तहत कार्यवाही संपन्न करेंगे।</p> <p>9. पुलिस थाना सिरमौर एवं गढ़ तहसील सिरमौर अंतर्गत मापतौल अधिनियम, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006,</p> <p>10. अंतरण पर प्राप्त समस्त दाण्डिक प्रकरण।</p>
--	--	--

रीवा, दिनांक- 12.08.2023

(रूप सिंह कनेल)  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,  
रीवा (म.प्र.)

12.8.23  
(रूप सिंह कनेल)  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,  
रीवा (म.प्र.)

प्रतिलिपि:-

- माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, रीवा (म.प्र.)
- सुश्री/श्री.....न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रीवा/मउगंज/सिरमौर/त्योथर/हनुमना/मनगवां को सूचनार्थ प्रेषित।
- पुलिस अधीक्षक, रीवा (म.प्र.) की ओर से संबंधित थाना प्रभारियों को सूचित कराये जाने हेतु प्रेषित।
- अध्यक्ष, अधिवक्ता संघ रीवा, जिला-रीवा।

(रूप सिंह कनेल)  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,  
रीवा (म.प्र.)